भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2268
20 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहन"

2268. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही बाधाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) और (ख): जी हां, सरकार विद्युत वाहनों के संबंध में उपभोक्ताओं के समक्ष आ रही बाधाओं से अवगत है। ब्यौरा निम्नानुसार है:-
(i) आंतरिक दहन (आईसी) इंजन वाले वाहनों की तुलना में तदनुरूपी इलेक्ट्रिक वाहन की उच्च अग्रिम लागत।
(ii) इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज के बारे में ग्राहकों की चिंता।
(iii) भारत में विशेष रूप से इलेक्ट्रिक कार खंड में आईसीई वाहनों की तुलना में सीमित मॉडल की उपलब्धता।

देश में विद्युत वाहनों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. फेम इंडिया स्कीम, चरण-II के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए 11 जून, 2021 से इलेक्ट्रिक वाहन की लागत की सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए मांग प्रोत्साहन को 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा कर दिया गया है।

ii. सरकार ने देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को 12 मई, 2021 को मंजूरी दी जिससे देश में बैटरी की कीमत कम होगी और उसके परिणामस्वरुप इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में कमी

आएगी। साथ ही, ऑटोमोबिल और ऑटो घटक के लिए 23 सितंबर, 2021 को अधिसूचित पीएलआई स्कीम में भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान है।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जर/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों और वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 18 अक्टूबर, 2018 को अधिसूचना जारी कर बैटरीचालित वाहनों को यात्रियों अथवा सामानों के वहन के लिए परमिट की आवश्यकता से छूट दी है।

*****